DISTRICT MAGISTRATE OFFICE GHAZIABAD
Letter No :- 2462 /ST-ADM(City)/2022 Dated 15 -11-2022

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi,

E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: **Compliance report in compliance to order passed by Hon'ble NGT, New Delhi on dated 16-08-2022 in matter of O.A. No. 216/2021, (I.A. NO. 160/2021), Ved Prakash Aggrawal Versus District Magistrate Ghaziabad & Ors.**

Sir,

With reference to the above subject mentioned above, in compliance to the order passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi on dated 16-08-2022 in matter of O.A. No. 216/2021, (I.A. NO. 160/2021), Ved Prakash Aggrawal Versus District Magistrate Ghaziabad & Ors. the compliance report is submitted for your kind perusal and necessary action please.

Yours Sincerely

Additional District Magistrate (City)
Ghaziabad
अपर जिलाधिकारी (नगर)
गाजियाबाद

Copy to:

1- District Magistrate, Ghaziabad .
2- Standing Counsel, Hon'ble National Green Tribunal on behalf on District Administration, Ghaziabad for perusal and necessary action.

Additional District Magistrate (City)
Ghaziabad

विषय–मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली के समक्ष लम्बित/निस्तारित ओ0ए0–216, 2021 वेदप्रकाश अग्रवाल बनाम जिलाधिकारी, गाजियाबाद व अन्य दिनांक 09.06.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में विस्तृत बिन्दुवार आख्या।

बिन्दु संख्या–1 – कथन सत्य है। माननीय अवगत कराना है कि पूर्व तत्कालीन अधिकारियों द्वारा तत्काल मौके स्थल की जांच उपरान्त ही रिपोर्ट आख्या दी गयी है।

बिन्दु संख्या–2 – Order Pass by Honourable NGT, New Delhi, Dated 01.09.2021 को दिये गये निर्देश के अनुसार ही जी0डी0ए0/सिचाई विभाग से रिपोर्ट मांगी गयी, जिसमें तीनों स्थलों लेण्ड क्राफ्ट/ए0टी0एस0/कोलम्बिया एशिया अस्पताल पर वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है। (अधिकारियों द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण के फोटोग्राफ संलग्न)

बिन्दु संख्या–3 – कथन असत्य है। रिपोर्ट में कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है, क्योंकि वेद प्रकाश अग्रवाल जी ने लेण्ड क्राफ्ट/ए0टी0एस0/कोलम्बिया एशिया अस्पताल के सम्बन्ध में अतिक्रमण की शिकायत की थी। 2018 में की गयी शिकायत के आधार पर सिंचाई विभाग द्वारा उसी समय अतिक्रमण हटवा दिया गया था।

बिन्दु संख्या–4 – मा0 न्यायालय के दिये गये निर्देशानुसार रिपोर्ट एक माह में ही प्रस्तुत कर दी गयी थी। मा0 जिलाधिकारी महोदय द्वारा माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली के निर्देशानुसार रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत कर दी गयी थी। कोई भी विलम्ब नहीं किया गया था।

बिन्दु संख्या–5 – कथन सत्य है।

बिन्दु संख्या–6 – कथन सत्य है। कुछ भाग पर जी0डी0ए0 द्वारा रोड बना ली गयी है। टीकरी रजवाहे की 22.82 हैक्टेयर भूमि हस्तान्तरण हेतु शासन स्तर पर जी0डी0ए0 एवं सिंचाई विभाग द्वारा 2009 से ही पत्राचार चल रहा है।

बिन्दु संख्या–7 – कथन असत्य है।

बिन्दु संख्या–8 – पिछले चार साल से लेण्ड क्राफ्ट/ए0टी0एस0/कोलम्बिया एशिया अस्पताल के निकट रजवाहे की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा 2009 से ही टीकरी रजवाहे के कुछ भाग पर रोड बना दी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से 22.82 हैक्टर भूमि हेतु पत्राचार चल रहा है। माननीय जिलाधिकारी, महोदय गाजियाबाद द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं सिंचाई विभाग से संयुक्त रिपोर्ट मांगी गयी। चूंकि 2018 में लेण्ड क्राफ्ट द्वारा कुछ अस्थाई अतिक्रमण की शिकायत की गयी थी, जिसे नोटिस देकर उसी समय हटवा दिया गया था। तब से आज तक वहॉ कोई अतिक्रमण नहीं है, जिसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है।

बिन्दु संख्या–9 – कथन सत्य है। श्री वेद प्रकाश अग्रवाल द्वारा आर0टी0आई0 के माध्यम से राजवाहें की सूचना मांगी गयी थी, जो उनको दी गयी थी। जनपद गाजियाबाद में राजवाहा की लम्बाई लगभग 20 मील है। चूंकि श्री वेद प्रकाश अग्रवाल द्वारा क्रमशः लेण्ड क्राफ्ट/ए0टी0एस0/कोलम्बिया एशिया अस्पताल द्वारा अतिक्रमण के सम्बन्ध में शिकायत की गयी थी, जिसकी लम्बाई लगभग एक मील है। अतः चाही गयी सूचना की रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी। चूंकि 20 मील से सम्बन्धित हस्तान्तरण हेतु पत्राचार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से चल रहा है। अतः उसके सम्बन्ध में रिपोर्ट नहीं दी गयी, किन्तु माननीय न्यायालय को रिपोर्ट में अवगत करा दिया गया था।

बिन्दु संख्या–10 – लेण्ड क्राफ्ट/ए0टी0एस0/कोलम्बिया एशिया अस्पताल के सम्बन्ध में ही रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

बिन्दु संख्या–11 – टीकरी रजवाहा, डासना नाले में गिरता है। सिंचाई विभाग के पास टीकरी रजवाहें का लेण्ड प्लान है, जिसके आधार पर अतिक्रमण की जांच की जाती है। राजवाहें की भूमि के अन्य अभिलेख राजस्व विभाग के रिकार्ड में उपलब्ध है।

बिन्दु संख्या–12	–	कथन असत्य है।
बिन्दु संख्या–13	–	टिकरी रजवाहें का उपयोग सिंचाई हेतु किया जाता है, किन्तु लगभग 30 साल से शहरीकरण होने के कारण अब सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, जिस हेतु रजवाहें के कुछ भाग का उपयोग जी0डी0ए0 गाजियाबाद द्वारा सडक निर्माण कर जनहित के लिये हो रहा है।
बिन्दु संख्या–14	–	कोई कथन नही। रजवाहें का मुख्य उद्देश्य सिंचाई के लिये होता है।
बिन्दु संख्या–15	–	चूंकि वादी द्वारा लेण्ड क्राफ्ट / ए0टी0एस0 / कोलम्बिया एशिया अस्पताल ने जांच की शिकायत की थी। विभाग द्वारा उसी समय ही अतिक्रमण हटवा दिया गया था।
बिन्दु संख्या–16	–	कथन असत्य है।
बिन्दु संख्या–17	–	कथन मान्य नहीं है, क्योंकि वादी द्वारा की गयी शिकायत के सम्बन्ध में मौके पर लेण्ड क्राफ्ट / ए0टी0एस0 / कोलम्बिया एशिया अस्पताल द्वारा किया गया अस्थाई अतिक्रमण को तत्काल हटवा दिया गया था। वर्तमान में तीनों एजेन्सी के सामने जो पुलिया बनी हुई है, उनकी विभाग से अनुमति दी गयी है।

अपर नगर मजिस्ट्रेट (तृतीय) गाजियाबाद।	अधिशासी अभियन्ता, मेरठ खण्ड, गंगा नहर, मेरठ	अधिशासी अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद।

संक्षिप्त विवरण

राजवाह टीकरी ऊपरी गंगा नहर के 84 मील 3 फर्ल्लॉग से निकलता है, जिसकी कुल लम्बाई 29.400 मील है, जिससे जनपद मेरठ व गाजियाबाद में सिंचाई की जाती है। जनपद मेरठ में राजवाह टीकरी की लम्बाई 8.55 मील है एवं गाजियाबाद जनपद में 20.99 मील है। वर्तमान में राजवाह टीकरी द्वारा 23.75 मील तक सिंचाई होती है। शेष 5.65 मील शहरीकरण में होने के कारण निष्प्रयोज्य है, जिसमें लगभग 20 वर्षो से सिंचाई नहीं हो रही है। निष्प्रयोज्य होने के कारण 5.65 मील लम्बाई के हस्तान्तरण का प्रकरण गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद से 12 वर्षो से चल रहा है, जिसके सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सिंचाई विभाग के निष्प्रयोज्य भूमि हेतु दिनांक 27.09.2011 को उ0प्र0 राज्य के 16 जनपदों में सिंचाई विभाग की शहरी क्षेत्रों में स्थित निष्प्रयोज्य भूमि को आवास एवं शहरी विकास विभाग के नियंत्रणाधीन विकास प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में हुई बैठक में उपस्थित उच्चाधिकारियों के सक्षम सम्पन्न हुई, जिसमें समिति द्वारा यह निर्देश दिये गये कि "जनपद गाजियाबाद में स्थित विभाग की 22.80 हैक्टेयर शहरी निष्प्रयोज्य भूमि की दरों का निर्धारण जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा कराकर मूल्य प्राप्त करने के पश्चात् भूमि के अन्तरण की कार्यवाही की जाये।" जिसमें अभी तक सहमति नहीं हो पायी है। सहमति की प्रत्याशा में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निष्प्रयोज्य भूमि पर जनमानस की सुविधा हेतु सडक का निर्माण 2011 में ही करा दिया गया था, जिसके सम्बन्ध में भूमि हस्तान्तरण का पत्राचार लगातार चल रहा है।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल द्वारा टीकरी राजवाहे पर लेण्ड क्राफ्ट/ए0टी0एस0/कोलम्बिया एशिया अस्पताल द्वारा अतिक्रमण की शिकायत की गयी, जिसे 2018 में ही सिंचाई विभाग द्वारा रिक्त करा दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट भी माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली को प्रस्तुत की जा चुकी थी। जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित जांच समिति, अपर नगर मजिस्ट्रेट (तृतीय) गाजियाबाद, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, एवं सिंचाई विभाग द्वारा कई बार स्थल का निरीक्षण किया गया एवं स्थल निरीक्षण आख्या जिलाधिकारी, गाजियाबाद के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली को प्रस्तुत की गयी थी, जिसके क्रम में श्री वेद प्रकाश अग्रवाल द्वारा वाद संख्या–ए0ओ0–10/2020 निस्तारित हो चुका है। इसके उपरान्त श्री वेद प्रकाश अग्रवाल द्वारा ए0ओ0 संख्या 216/2021 माननीय एन0जी0टी0 न्यायालय में पुनः दाखिल किया गया, जिसकी आख्या संलग्न कर प्रस्तुत की जा रही है।

अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि श्री वेद प्रकश अग्रवाल के द्वारा दायर सम्बन्धित वाद को निक्षेपित करने की कृपा करें।

अधिशासी अभियन्ता, मेरठ खण्ड, गंगा नहर, मेरठ	अधिशासी अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद।	अपर नगर मजिस्ट्रेट (तृतीय) गाजियाबाद।

Subject: Detailed Pointwise Report in respect of compliance of order passed on 09-06-2022 in OA-216, 20121, Ved Prakash Agarwal Versus District Magistrate, Ghaziabad & others, decided/pending before the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi.

Point No. 1: Statement is true. Sir, it is to state that the report has been submitted after due promt spot inspection by the then Officers concerned.

Point No. 2: The report was called from the G.D.A./Irrigation Department according to the Directions vide order dated 01-09-2021according to which at present there is no encroachment on all the three places Land Craft/A.T.S/Colambia Asia Hospital (Photographs of the Spot Inspection by the Officers are enclosed.)

Point No. 3: Statement is incorrect. Nothing material fact has been concealed in the report, because Ved Prakash Agarwal has alleged the encroachment on Land Craft/A.T.S/Colambia Asia Hospital. On the basis of complaint made in 2018, the encroachment was removed by the Irrigation Department on the basis of the complaint at the same time.

Point No. 4: According to the Directions of the Hon'ble Court, the report was submitted within a month. The report was submitted by the District Magistrate according to the directions of Hon'ble N.G.T. New Delhi without any delay.

Point No. 5: Statement is true.

Point No. 6: Statement is true, on some part, Road has been constructed by the G.D.A. Regarding transfer of 22.82 Hectare land of Teekri Rajbaha, the correspondence is in progress between G.D.A. & Irrigation Department since 2009.

Point No. 7: Statement is incorrect.

Point No. 8: There is no encroachment on Land near Craft/ A.T.S/Colambia Asia Hospital on the land of Rajbaha. Road was constructed on some part of Teekri Rajbaha by Ghaziabad Developme t Authority in the year 2009 on a land measuring 22.82 Hectare, in respect f which the correspondence is in progress with Ghaziabad Delopment Authority. A report was called by the Hon'ble District Magistrate Ghaziabad jointly from Ghaziabad Development Authority and Irrigation Department. As in 2018, a complaint was made by Land Craft regarding some temporary encroachment which was removed at the same time by giving a notice. Since then till today, there is no encroachment, in this regard, a report has already been submitted.

Point No. 9: The statement is true. The information regarding Rajbaha was required through R.T.I. by Shri Ved Prakash Agarwal which was provided to him. The length of Rajbaha in District Ghaziabad is about 20 miles. Complainant was made regarding encroachment by Shri Ved Prakash Agarwal in the Land Craft/A.T.S/Colambia Asia Hospital which is about one Mile. Hence the report as required was provided to him. As the correspondenc is in progress with Ghaziabad Development Authority regarding the transfer of 20 Miles, hence no report has been submitted regarding the same, but the Hon'ble Court was made aware in this regard in the report.

Point No. 10: The report is bing submitted regarding Land Craft/A.T.S/Colambia Asia Hospital.

Point No. 11: The Teekri Rajbaha falls in the Sewer Dasna. The Irrigation Department has a Land Plan of Teekri Rajbaha, on the basis of which the inquiry is made. Other documents of Teekri Rajbaha are available in the Revenue Record of Revenue Department.

Point No. 12: Statement is incorrect.

Point No. 13: Teekri Rajbaha is used for irrigation, but since last 30 years, now there is no requirement of irrigation due to urbanization, due to which some part of Rajbaha has been used by the G.D.A., Ghaziabad for construction of Roads in the interest of public.

Point No. 14; No comment. The main purpose of Rajbaha is irrigation.

Point No. 15: Whereas the complainant has complained regarding the inquiry of Land Craft/A.T.S/Colambia Asia Hospital. The encroachment was removed by the Department at the same time..

Point No. 16: The Statement is incorrect.

Point No. 17: Statement is not admitted as regarding the complaint the encroachment by Land Craft/A.T.S/Colambia Asia Hospital was removed immediately. At present, the permission of Pulia in front of the all three Agerncies has been given by the Department.

Upper City Magistrate (Third) Ghaziabad	Executive Engineer Meerut Block Ganga Canal, Meerut.	Executive Engineer Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad.

Brief Details:

Rajbaha Teekri comes out of 84 Miles 3 Furlong of Ganga Canal, the total length of which is 29.400 Miles from which the irrigation has been done in District Meerut and Ghaziabad. In District Meerut, 23.75 Miles irrigation is done and in District Ghaziabad, 20.99 Miles irrigation is done. At present irrigation of 23.75 Miles is done by Rajbaha Teekri. Remaining 5.65 Miles is not useable due to urbanization, wherein no irrigation has been done since last 20 years. The matter regarding transfer of 5.65 Miles has been in progress since last 12 years, in this regard with Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad. In the Meeting headed by Chief Secretary, U.P. Government, held on 27-09-2011, for the transfer of unuseable land of Irrigation Department in 16 District of U.P. measuring 22.80 Hectare land situated District Ghaziabad in urban areas in the control of Development Authorities/Avas & Vikas Parishad, The said meeting was held in presence of the Higher Authorities, wherein the committee has directed that "after fixing the rate by the District Magistrate, Ghaziabad, regarding the 22.80 Hectare Land of Urban unuseable land, after receiving the cost, the transfer proceedings be done" wherein no consent is made till now. In the hop of mutual consent, the Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad has already constructed the Road for the public interest on unuseable land in the year 2011. In this regard, the correspondence is in progress for the transfer of land.

Shri Ved Prakash Agarwal has complaint regarding encroachment by Land Craft/ATS/Colambia Asia Hospital on Teekri Rajbaha, which was already removed by the Irrigation Department in the year 2018, of which the report has already been submitted to the Hon'ble National Green Tribunal, Delhi. The spot inspection has been made many times by the Inquiry Committee constituted by the District Magistrate, Ghaziabad including Upper City Magistrate (Third) Ghaziabad, Ghaziabad Development Authority and Irrigation Department and its report was submitted to the Hon'ble National Green Tribunal, Delhi through District

Magistrate, Ghaziabad. In respect thereof the Case No. A.O.-102020 filed by Ved Prakash Agarwal has been decided. Thereafter, Shri Ved Prakash Agarwal against filed A.O. No. 216/2021 before the Hon'ble Court, report of which is being submitted attached herewith

Hence it is prayed that the case filed by Shri Ved Prakash Agarwal be deposited in the office.

Executive Engineer Meerut Block Ganga Canel, Meerut.	Executive Engineer Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad.	Upper City Magistrate (Third) Ghaziabad.

मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ

लैण्ड क्राफ्ट बिल्डर्स प्रोजेक्ट के सामने टीकरी राजवाहे की रिक्त भूमि |

लैण्ड क्राफ्ट बिल्डर्स प्रोजेक्ट की बराबर में टीकरी राजवाहे की रिक्त भूमि |

मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ

मणिपाल(कोलम्बिया एशिया) अस्पताल के सामने टीकरी राजवाहे की रिक्त भूमि।

ए0 टी0 एस0 बिल्डर्स प्रोजेक्ट के सामने टीकरी राजवाहे की रिक्त भूमि।